कार्यालय विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी पं0स0,बयाना,जिला भरतपुर(राज0)

क्रमांक :– 78 दिनांकः– 11/05/2026

ई–निविदा सूचना 01/2026–27

पंचायत समिति बयाना, एवं उसके अधीन समस्त ग्राम पंचायतो मे वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए महानरेगा (वीवीजीरामजी) एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यो के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु वाणिज्यिक कर विभाग में जी एस टी अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत एवं अनुभवी फर्मो/सप्लायर्स से दिनांक 31.03.2027 तक के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु दर अनुबन्ध करने के लिए ई– निविदा आमंत्रित की जाती हैं। **ई– निविदा ग्राम पंचायतवार प्रस्तुत करनी होगी।** निविदा का अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति	अनुमानित लागत (लाखो में) प्रति ग्राम पंचायत	धरोहर राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) प्रति ग्राम पंचायत	निविदा डाउनलोड/ अपलोड करने की अवधि	मूल डी0डी0 एवं निविदा ऑनलाईन की हार्ड कापी जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि
1	पंचायत समिति बयाना के अधीनस्थ समस्त 46 ग्राम पंचायत	60.00	120000/–	18.05.2026 से 02.06.2026 सांय 6 बजे तक	03.06.2026 दोपहर 1 बजे तक	04.06.2026प्रातः 11 बजे से
2	पंचायत समिति बयाना	60.00	120000/–	18.05.2026 से 02.06.2026 सांय 6 बजे तक	03.06.2026 दोपहर 1 बजे तक	04.06.2026प्रातः 11 बजे से

1. प्रोसेसिंग शुल्क **Managing Director, RISL** (एम.डी.आर.आई.एस.एल) के नाम 500रू का चालान पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के लिए अलग–अलग (बजट हैड 8658–00–102–16–01) जयपुर के पक्ष में देय होगा।
2. ग्राम पंचायत के लिए निविदा शुल्क 1000/–रू. एवं धरोहर राशि 120000/– रू0 का डी.डी. विकास अधिकारी पंचायत समिति बयाना के पक्ष में देय होगा।
3. पंचायत समिति के लिए निविदा शुल्क 1000/– रू. एवं धरोहर राशि 120000/– रू0 का डी.डी. विकास अधिकारी पंचायत समिति बयानां के पक्ष में देय होगा।

नोटः– निर्माण सामग्री की वास्तविक मांग कार्य स्वीकृति के पश्चात उत्पन्न होती है। अतः BOQ में अंकित सामग्री की मात्राऐं पूर्णतः अनुमानित है, वास्तविक क्रय अनुमानित मात्रा से कम/ अधिक हो सकता है। निविदा वार्षिक दर संविदा हेतु न्यूनतम दर प्राप्ति के लिये आमंत्रित की गई है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण **http://eproc.rajasthan.gov.in** व **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति बयाना

क्रमांक :– 79-82 दिनांकः– 11/05/2026

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय, जिला भरतपुर।
2. श्रीमान् अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर।
3. नोटिस बोर्ड पंचायत समिति बयाना।
4. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति बयाना

D/Lekha/Narega E-Tender PS bayana 01 2025-26

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी कम
कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति बयाना

कार्यालय विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी पं0स0,बयाना,जिला भरतपुर(राज0)

—: निविदा प्रपत्र :—

पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर के निर्माण कार्यो बावत निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु

1. निविदा देने वाली फर्म का नाम एंव पूरा पता :— ....
....

2. सन्दर्भ :—ई—निविदा सूचना संख्या 01/2026—27 कमांकः— लेखा/नरेगा/2026—27/............ दि0 ....

3. निविदा शुल्क 1000/—विकास अधिकारी पंचायत समिति बयाना के पक्ष में बैंकर चैक/ड्राफ्ट सं. .... दिनांक ....

4. निर्माण सामग्री आपूर्ति की दरें निविदा के साथ संलग्न "जी शिड्यूल एवं वित्तीय निविदा" में अंकित कर दी गई हैं।

5. उपरोक्त अंकित दरें अनुमोदन की तिथि से 31 मार्च 2027 तक के लिये मान्य हैं। पारस्परिक समझौते के जरिये समयावधि बढ़ायी जा सकती है।

6. बोली प्रतिभूति राशि 120000/— रू0 (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) विकास अधिकारी पंचायत समिति बयाना के पक्ष में देय ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक एवं शाखा का नाम.................................... संलग्न।

7. प्रोसेसिंग शुल्क **Managing Director, RISL** (एम.डी.आर.आई.एस.एल) के नाम 500रू का चालान पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के लिए अलग—अलग (बजट हैड 8658—00—102—16—01) जयपुर के पक्ष में देय होगा।

चालान नं0......................................दिनांक...................... संलग्न।

संलग्नक :—

परिशिष्ठ — अ :— तकनीकी निविदा का प्रपत्र।
परिशिष्ठ — ब :— "जी शिड्यूल व वित्तीय निविदा प्रपत्र"।
परिशिष्ठ — स :— निविदा की शर्ते
एस.आर प्रारूप 11 (Annexure E)
Non Black Listed/Defaulter **Annexure F** decalaration (On Rs. 50 Non judicial stamp attestet by Notery Public)

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

नामः—..
पताः—..
....
मो.नं.— ....

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी कम
कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति बयाना

कार्यालय विकास अधिकारी कम कार्यकम अधिकारी पं0स0,बयाना,जिला भरतपुर(राज0)

तकनीकी बिड

1. निविदा सूचना संख्या :– ई – निविदा सूचना 01/2026–27
2. कार्य का नाम :– निर्माण सामग्री (मनरेगा/वीवीजीरामजी एवं ग्रामीण विकास के कार्यो हेतु)
3. कार्य की अनुमानित लागत :–ग्राम पंचायत 60 लाख प्रति एवं पंचायत समिति 60 लाख
4. बोली प्रतिभूति राशि .... 2 प्रतिशत अनुमानित लागत का (120000/– रू)
5. संवेदक /फर्म का नाम :–
6. निविदा डाउनलोड /अपलोड करने की तिथि :– 18.05.2026 से दिनांक 02.06.2026 सांय 6.00 बजे तक
7. निविदा को खोलने की तिथि व समय :– दिनांक 04.06.2026को प्रातः 11.00 बजे से।
8. निविदादाता द्वारा संलग्नः–
   1. बोली प्रतिभूति राशि 120000/– रू0 (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) विकास अधिकारी पंचायत बयाना के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चेक नं. ....राशि ....दिनांक .... बैंक का नाम...
   2. निविदा शुल्क डी.डी./बैंकर्स चेक नं. ....राशि ....दिनांक .... बैंक का नाम...
   3. प्रोसेसिंग शुल्क **Managing Director, RISL** (एम.डी.आर.आई.एस.एल) के नाम 500रू का चालान पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के लिए अलग–अलग (बजट हैड 8658–00–102–16–01) जयपुर के पक्ष में देय होगा। चालान नं0..दिनांक...................... संलग्न।
   4. राजकीय विभाग में सम्बंधित श्रेणी में पंजीकृत संवेदक का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति। वाणिज्यक विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
   5. पेन कार्ड की प्रति
   6. जीएसटी/टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट मार्च 2026 तक।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम : ....

पता ....

....

मोबाइल न. ....

D/Lekha/Narega E-Tender PS bayana 01 2025-26

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी कम
कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति बयाना

एसआर प्रारूप –11

Annexure E

निविदादाताओ द्वारा घोषणा (देखिये नियम 48 (Vii)

मैं/हम/ घोषणा करता हूँ/ करते है कि मैंने/हमने जिन मालो/सामानो/उपकरणो के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विकेता/सोल वितरक/ प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विकय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभुति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्ध किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी कम
कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति बयाना

Non Black Listed/Defaulter **Annexure F**

शपथ–पत्र(निविदादाता द्वारा 50 रूपये नॉन ज्यूडीसियल स्टाम्प नोटरी सहित)

श्री .... पुत्र श्री .... जाति .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... प्रो मैसर्स ....शपथ पूर्व बयान करता हूँ कि :–

01 यह है कि निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबधित कार्मिको/अधिकारियों/तथा क्रय आदेश देने वाले अधिकारियों/कार्मिको/लोक सेवको/संविदाकर्मियो से और कोई रिश्ता नाता नहीं है और न ही कोई परिजन है।

02 यह है कि मेरी फर्म कोई भी किसी तरह से ब्लेक लिस्टेड नहीं है।

03 यह है कि मेरी फर्म पूर्व मे किसी तरह से ब्लेक लिस्टेड से कोई संबंध नही है तथा न ही किसी तरह से मैने फर्म के नाम से गलत उपयोग नही किया।

04 यह है कि उक्त निविदा में अपलोड एवं प्रस्तुत की गई सूचनाए सही है एवं सत्य है, समस्त जिम्मेदारी मेरी है व रहेगी।

हस्ताक्षर

तस्दीकः–

मै शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित तमाम पद मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही है।

हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी कम
कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति बयाना

सत्यनिष्ठा की संहिता

1. **उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति :–**

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करनि का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोधी, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नामः–...
पताः–...
मोबाईल नं0.................................

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी कम
कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति बयाना

हित का विरोध

1. कोई भी बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि :–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकरों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सहलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नामः–...
पताः–...
मोबाईल नं0.....................................

Scanned with OKEN Scanner

Sd/-

विकास अधिकारी कम
कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति बयाना

कार्यालय विकास अधिकारी कम कार्यकम अधिकारी पंचायत समिति बयाना, जिला भरतपुर(राज0)

निविदा की सामान्य शर्ते

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। तथा दरें दिनांक 31.03.2027 तक मान्य होगी।
2. संवेदक द्वारा संलग्न समस्त अभिलेखों/दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिये।
3. वैध रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी./वेट क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र (31 मार्च 2026) एवं आयकर पेन नं. की स्केन्ड प्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
4. स्वीकार नहीं की गयी निविदाओं या लौटाये गये प्रारूपों या प्रस्तुत नहीं की गयी निविदाओं के लिए निविदा फीस प्रतिदाय योग्य नहीं है।
5. ऑनलाइन निविदा भरते समय सम्बंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणाम स्वरूप निविदा प्रकिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
6. इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन्ड कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
7. निविदादाता द्वारा पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत के लिए निविदा शुल्क रूपये 1000/- विकास अधिकारी पंचायत समिति के नाम देय होगा तथा प्रोसेसिग फीस ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के लिए रूपये 500/- का चालान.(बजट हैड 8658-00-102-16-01) **Managing Director, RISL, Jaipur** के नाम से देय होगें । जिसे भौतिक रूप से **विकास अधिकारी कम कार्यकम अधिकारी पंचायत समिति बयाना** के कार्यालय में जमा कराना होगा।
8. बिड प्रतिभूति/निविदा शुल्क/ प्रोसेसिंग शुल्क राशि के डी.डी या बैंकर्स चेक एवं तकनीकी निविदा प्रपत्र से संबंधित समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि **विकास अधिकारी कम कार्यकम अधिकारी पंचायत समिति बयाना** के कार्यालय में दिनांक 03.06.2026 को दोपहर 01.00 बजे तक भौतिक रूप से जमा कराने होंगे, यदि निविदादाता द्वारा उक्त डी.डी./बेंकर्स चेक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो संबंधित निविदादाता/फर्म की वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी।
9. निविदा वित्तीय बिड BOQ में दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जावेगी।
10. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) की वापसी असफल निविदादाताओं को निविदा दरें निर्णित होने पर एवं सफल निविदादाता शेष प्रतिभूति राशि 3 प्रतिशत जमा कराये जाने के उपरान्त असफल निविदादाता की प्रार्थना पर उनकी अमानत राशि की मूल डी0डी0/बैंकर्स चैक को नियमानुसार वापिस कर लौटा दिया जावेगा।
11. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) का समपरहरण:-
    अरनेस्ट मनी का निम्नलिखित परिस्थितियों में समपरहण किया जा सकेगा-
    i. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
    ii. जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
    iii. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता हैं।
    iv. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।
12. निविदा प्रपत्र में सम्मिलित सभी सामग्री का कार्यादेश एक ही फर्म को दिया जायेगा ताकि कार्य की प्रगति में व्यवधान नहीं हो। यदि किसी निविदादाता द्वारा सभी सामग्री हेतु दरें नहीं दी जाती है तो उस निविदा पर विचार नहीं किया जावेंगा। सभी आईटमों की निविदा दर एक होगी।
13. दरें सभी खर्चों एवं करों सहित दी जावें। F.O.R सम्बन्धित ग्राम पंचायत का निर्माण कार्य स्थल या कार्यादेश के अनुसार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी कम
कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति बयाना

14. सामग्री की दरें सभी प्रकार के टैक्स, रॉयल्टी, जी.एस.टी. इत्यादि सहित होगी एवं इन दरों को चुकाने के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. बकाया भुगतान राशि/अमानत राशि/प्रतिभूति राशि पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।
16. सामग्री Standared Technical Specification के अनुसार आपूर्ति की जानी होगी। यदि सामग्री मानद मद है तो ISI मार्क की होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण सामग्री अथवा कार्यकारी एजेन्सी/तकनीकी अधिकारी के द्वारा सामग्री के चयन किये गये वांछित नमूनों की अनुमोदित लेबोरेटरी टेस्ट निविदादाता द्वारा करवा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी सहायक इन्चार्ज एवं ग्रामीण स्थाई समिति की कार्य गुणवता की सन्तुष्टता रिपोर्ट पश्चात भुगतान कार्यवाही की जायेगी।
17. इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक सड़क के निर्माण हेतु आपूर्ति किये गये प्रिकास्ट ब्लॉक के रेण्डम बेसिस पर पर्याप्त मात्रा (प्रति हजार ब्लॉक में एक सेम्पल) के नमूनों की गुणवता की तकनीकी जाँच सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला/इस कार्यालय में स्थापित प्रयोगशाला में करवा कर ही सही ब्लॉक निर्माण हेतु उपयोग में लिये जायेंगे। अतः सम्बन्धित निर्माता फर्म द्वारा इन्टरलोकिंग सी. सी. ब्लॉक की सप्लाई करते समय प्रत्येक लॉट के साथ प्रयोगशाला का **Testing Certificate** भी सलंग्न करना होगा जिसमें यह अंकित होगा कि ब्लॉक का निर्माण निर्धारित आई.एस. मापदण्डों के अनुरूप है।
18. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी क्रय आदेश के क्रम में आपूर्ति की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा ग्राम पंचायत के सरपंच/वार्ड पंच, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (JTA)/कनिष्ठ अभियन्ता एवं ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ सहायक/ ग्राम विकास अधिकारी की स्थानीय समिति के सत्यापन पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा। स्टॉक रजिस्टर में सामग्री की प्रविष्टियों पर तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता एवं ग्राम रोजगार सहायक/ कनिष्ठ सहायक/ ग्राम विकास अधिकारी सत्यापन के तौर पर हस्ताक्षर करेंगें।
19. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के संलग्न निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर अमानता राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
20. **निम्न दस्तावेजों को डिजीटली साईन करते हुए ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य है :–**

1	निविदा शुल्क का डी.डी./बैंकर्स चैक
2	ई –टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क का डी.डी./बैंकर्स चैक
3	बोली प्रतिभूति राशि का डीडी/बैंकर्स चैक
4	**Annexure E** "S.R Perfoma 11"
5	Non Black Listed/Defaulter **Annexure F** decalaration (On Rs. 50 Non judicial stamp attestet by Notery Public)
6	GST registration certificate,from the concerned commercial Taxes Officer/Competent Authority
7	Income Tax Permanant Account No. (Enclose copy of PAN No.)
8	**COPY OF LATEST FILED GST RETURN** (न्यूनतम मार्च 2026 की या उसके बाद के माह तक की)
9	बोली प्रपत्र (Bid Document) मय शर्तें

Digitally signed Scanned copy of above document shall be uploaded separately envelope and BOQ (Bid Offered Quantity rate) shall be uploaded separately in Online-tender(E-procurement).

21. स्वीकृत निविदादाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 3 प्रतिशत ग्राम पंचायत के कार्यो के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति बयाना के नाम से तथा पंचायत समिति के कार्यो के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति बयाना के नाम से जमा करानी होगी।
22. कार्य की दरे समस्त करों सहित होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
23. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बयाना होगा।
24. निविदा की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी में निहित होगी जो निम्नतम निविदा स्वीकार करने के लिए स्वंय आबद्ध नहीं है और प्राप्त किन्ही या सभी निविदाओं को कारण बताये बिना अस्वीकार करने का प्राधिकारी अपने पास

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी कम
कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति बयाना

आरक्षित रखता है।

25. सम्पूर्ण प्रकिया में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 प्रभावी होगा।
26. ठेकेदारों में मार्गदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश ''लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम'' के भाग–II के परिशिष्ट XI पर उपलब्ध है।
27. निविदा खोलने की दिनांक को अगर राजकीय अवकाश होता है तो निविदा आगामी कार्य दिवस को खोली जावेगी।
28. निविदा 60 दिनों के लिए विधिमान्य होगी।
29. सफल निविदादाता द्वारा दर स्वीकृति के 7 दिवस में 500/– रू. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्चे पर निर्धारित प्रारूप (PW&FR के भाग II परिशिष्ठ XI) मे करार पत्र का निष्पादन करना होगा अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
30. बीएसआर से निविदा दर 10 प्रतिशत से कम आने पर 10 प्रतिशत से कम की अन्तर राशि से जितना प्रतिशत कम पर दरें प्राप्त होगी उतनी प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिभूति राशि डीडी के रूप में जमा करानी होगी। तदुपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।
31. कार्यादेश जारी होने के 7 (सात) दिवस मे कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा PW & FR एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
32. कार्यालय न्यूनतम दर की निविदाओं को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। विभागीय कमेटी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
33. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नही देगा। यदि ऐसा साइट पर पाया जाता है तो निविदा समाप्त कर धरोहर राशि जप्त कर दी जायेगी तथा तत्समय तक किये गये कार्य का भुगतान नही किया जायेगा।
34. (I) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी/सेवा के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा। (II) परिसमापित नुकसानीः– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैः–

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2½ %
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए 5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7½ %
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।
(3) परिसमापित नुकसान की अधिकतम राशि 10% होगी।
(4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस अधिकारी को आवेदन करेगा। जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु यह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद करेगा।
(5) यदि कार्य का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से पूरे कारणो से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

35. निविदा प्रकिया के निर्णय से संबद्ध कार्मिको/अधिकारियों तथा कय आदेश देने वाले अधिकारियों/ कार्मिको/लोक सेवकों/संविदा कर्मियों के परिजन निविदा में भाग नही ले सकेंगे। सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलने पर ही कार्य आदेश दिये जायेगे। अन्य शेष शर्ते ग्रामीण कार्य निर्देशिका की लागू होगी।
36. यदि नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित पंचायत समिति अथवा अधिनस्थ कार्यालय में लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसे कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी कम
कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति बयाना

37. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 186(2) में गठित उपापन समिति के अध्यक्ष, समिति के सदस्य एवं उनके परिजन व रिश्तेदार निविदा प्रक्रिया में संवेदक के रूप में हिस्सा नहीं ले सकेगें।
38. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, ग्रामीण कार्य निर्देशिका में जारी विभिन्न निर्देश तथा वित्तीय लेखा नियम जो निविदा प्रकाशन के समय प्रभावी हैं, की सभी शर्तें इन कार्यों पर लागू होंगी।
39. जी–शिड्यूल में टाईपिंग, लिपिकीय या गणना में कोई त्रुटि होने पर मापदण्ड एवं दरें बीएसआर 2026–27 ब्लॉक बयाना के अनुसार मान्य होगीं।
40. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्र से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कापी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है।
41. कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिक कमी के कारण जमा कराने में लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
42. महात्मागांधी नरेगा योजना हेतु प्राप्त सामग्री की दरों के अनुमोदन का सम्पूण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता की अध्यक्षता में पंचायत समिति स्तर पर गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
43. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित अन्य विकास योजनाओं में स्वीकृत कार्यो हेतु सामग्री की दरों के अनुमोदन का सम्पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित सरपंच की अध्यक्षता में गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।

44. उक्त सभी शर्तें अनुमोदित निविदादाता के साथ निष्पादित किए जाने वाले करार पत्र का भाग मानी जावेंगी, जिन्हे अनुमोदित निविदादाता मानने के लिए बाध्य होगा।
45. निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि फर्म वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं से पूर्व में वाणिज्यिक कर विभाग में जी एस टी अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत होना अति आवश्यक है उक्त के अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति, बयाना

मैने/हमने उक्त शर्ते पढकर समझ ली है एवं इनसे पूर्णतः सहमति है। सहमति स्वरूप मैने निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नामः–..
पताः–..
मोबाईल नं0..................................

D/Lekha/Narega E-Tender PS bayana 01 2025-26

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJ KUMAR DHAKAD
Date: 2026.05.16 08:52:56 IST
Location: Rajasthan-RJ

Scanned with OKEN Scanner